फैसला पीड़िता की गवाही साबित नहीं कर सकी यौन उत्पीड़न, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपित को किया बरी

सिर्फ आइ लव यू कहने भर से यौन उत्पीड़न का नहीं बनता मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : हाई कोर्ट ने पाक्सो और एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपित युवक को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अभियोजन की कमजोर विवेचना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि घटना में न तो यौन उद्देश् प्रमाणित हुआ और न ही पीड़िता की उम्र साबित करने पर्याप्त साक्ष्य पेश किए गए। जस्टिस संजय एस. अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और राज्य शासन की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपित द्वारा आइ लव यू कहने की एकमात्र घटना को यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि यौन उद्देश् स्पष्ट न हो। पीड़िता और उसकी सहेलियों की गवाही से यह साबित नहीं हुआ कि आरोपित का व्यवहार यौन इरादे से प्रेरित था।

फाइल फोटो

एससी/एसटी एक्ट में भी साक्ष्य नाकाफी

अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपित ने पीड़िता की जाति को जानते हुए अपराध किया। लेकिन पीड़िता ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि आरोपित को उसकी जाति की जानकारी थी या उसने इस आधार पर अपराध किया। कोर्ट ने कहा कि जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि अपराध सिर्फ जाति के कारण किया गया, तब तक एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वीए) के तहत दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले अर्टनी जनरल फार इंडिया वर्सेज सत्तीश (2021) का हवाला देते हुए कहा कि पाक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न तभी माना जाएगा, जब उसमें यौन मंशा हो, न कि केवल किसी भी प्रकार का संपर्क या कथन। कोर्ट ने यह भी पाया कि छात्रा और उसकी सहेलियों की गवाही में आरोपित द्वारा किसी अश्लील या अपमानजनक भाषा के प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं था। इसके अलावा, यह भी सिद्ध नहीं हो सका कि आरोपित को स्टूडेंट की जाति की जानकारी थी, जिससे एससी/एसटी एक्ट का प्रावधान भी लागू नहीं होता। इन सभी तथ्यों के मद्देनजर हाई कोर्ट ने राज्य की अपील खारिज की और ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपित को बरी करने का निर्णय बरकरार रखा है।

ट्रायल कोर्ट ने भी कर दिया था बरी

मामला धमतरी जिले के कुरूद थाना क्षेत्र का है। पीड़िता, जो उस समय 15 वर्ष की थी, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि स्कूल से लौटते समय आरोपित ने उसे देखकर आइ लव यू कहा। इससे पहले भी कथित रूप से आरोपित उसे परेशान करता था। छात्रा ने शिकायत में आरोप लगाया कि युवक उसे पहले से ही परेशान कर रहा था। छात्रा की शिकायत पर शिक्षकों ने उसे डांटा फटकारा था और इस तरह की हरकत ना करने की चेतावनी भी दी थी। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आइपीसी की धारा 354 डी (पीछा करना), 509 (लज्जा भंग), पाक्सो एक्ट की धारा 8 (यौन उत्पीड़न की सजा) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वीए) के तहत मामला दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपित को बरी कर दिया था, जिसे राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद टिप्पणी करते हुए कहा कि, एक बार आइ लव यू कहने मात्र से न तो यह यौन उत्पीड़न है और न ही छेड़छाड़। अभियोजन न तो पीड़िता की उम्र साबित कर सका और न ही यौन इरादा या बार-बार पीछा करने की बात। ऐसे में आरोपित को दोषी ठहराना संभव नहीं। कोर्ट ने माना कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहियों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे यह साबित हो कि आरोपित ने यौन इच्छा से प्रेरित होकर यह बात कही थी।